संचिका संख्या– प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11 / 2023

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध वार्ड नं0–22, शहरी क्षेत्र, समस्तीपुर अन्तर्गत श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017 एवं कार्यपालक सहायक / कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से सुनियोजित तरीके से MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर राशन कार्डधारियों के नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का अनुचित ढंग से उठाव / Transaction किये जाने, सरकार द्वारा संचालित जन– कल्याणकारी योजना का गलत ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग / विचलन करने, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–4706 दिनांक–26.10.2023 द्वारा श्री सिन्हा से लिखित अभिकथन / बचाव बयान की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन / बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–547 दिनांक–30.01.2024 द्वारा प्रस्तुत मामले की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–34 दिनांक–17.09.2024 द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा–कार्यपालक सहायक / कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से MO Login एवं Password का दुरूपयोग करने, को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा स्पष्ट किया है कि MO Login एवं Password व्यवहारिक तौर पर कार्यपालक सहायक के पास रहता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा कार्यपालक सहायक की मिली–भगत से उक्त कार्य को किया गया है, जो विभागीय निदेशों का उल्लंघन है। MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर कुल 48 कार्डधारियों के लिए एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाकर खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु श्री सिन्हा द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अमोल कुमार, कार्यपालक सहायक श्री अजीत कुमार एवं ब्लॉक कोर्डिनेटर श्री अजय कुमार के विरूद्ध 7 EC Act एवं 66(D) IT Act के तहत नगर थाना काण्ड संख्या–197 / 23 दिनांक–26.07.2023 दर्ज की गई है। अतएव पूरे प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। सैद्धान्तिक रूप से M.O. Login/Password के रख–रखाव, उपयोग / दुरूपयोग की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक की होती है। फलतः आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–163375 दिनांक–09.10.2024 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान की माँग की गयी।

श्री सिन्हा ने दिनांक–04.11.2024 को अपना द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान विभाग को समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रमाणित आरोप का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया है कि मेरे द्वारा M.O. Login/Password का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया गया है और ना ही अपने प्रतिस्थानी आपूर्ति निरीक्षक के अलावे किसी अन्य के साथ M.O. Login/Password को साझा किया गया है और ना ही मामले से संबंधित राशन कार्ड में नॉमिनी जोड़ने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–964 दिनांक–14.07.2023 से भी होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ''विक्रेता के द्वारा कार्यपालक सहायक / स्थानीय कोर्डिनेटर के मदद से नॉमिनी जोड़ने का कार्य विभागीय नियम के विरूद्ध किया गया है।'' अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के स्वीकारोक्ति लिखित बयान से यह स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कृत्य में मैं कहीं से भी संलिप्त नहीं था।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा

अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक–964 दिनांक–14.07.2023 में अंकित है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा स्थानीय कॉर्डिनेटर की मदद से नॉमिनी जोड़ने का कार्य विभागीय नियमों के विरूद्ध किया गया है। विदित हो कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अमोल कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर को समर्पित लिखित बयान में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा स्थानीय कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर से मिलकर MO Login/Password का उपयोग कर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी, परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय कॉर्डिनेटर एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता को MO Login का Password कैसे प्राप्त हुई, जबकि MO Login एवं Password के रख–रखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक की होती है। यद्यपि श्री सिन्हा का यह कहना कि अपने प्रतिस्थानी आपूर्ति निरीक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ MO Login एवं Password को साझा नहीं किया है, तदापि इनके MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर स्थानीय कॉर्डिनेटर एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का विचलन किया जाता रहा और इसकी जानकारी श्री सिन्हा को नहीं थी, यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त श्री सिन्हा द्वारा अंकित किया गया कि स्थानीय कॉर्डिनेटर एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध ई.सी. एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करा दिये जाने से श्री सिन्हा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। MO Login एवं Password के रख–रखाव के निर्वहन में श्री सिन्हा पूर्णरूप से विफल रहे हैं, फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः श्री सिन्हा के विरूद्ध MO Login एवं Password का दुरूपयोग किये जाने संबंधित आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के आलोक में श्री आतिश सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by
Birendra Kumar Prasad
Date: 04-02-2025 15:32:25

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि –

1. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/समस्तीपुर/उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह– संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया/अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर/अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 तथा आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर, पूर्णिया को निदेशित किया जाता है कि संसूचित दण्ड की प्रविष्टि श्री सिन्हा की सेवापुस्त में करते हुए उपर्युक्त दण्डादेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

3. श्री आतिश सिन्हा, आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।